

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 603]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर 2020 — कार्तिक 28, शक 1942

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 2 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-1/2020/मबावि/50 (पार्ट 2) . — किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे उल्लिखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) में उल्लिखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित तत्संबंधी जिले के बालक कल्याण समिति में, क्रमशः अध्यक्ष/सदस्य के रूप में, नीचे उल्लिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात् :-

तालिका

स. क्र.	जिले का नाम	बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष का नाम	बालक कल्याण समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	श्री सरवत हुसैन नकवी	1. श्री रमेश कुमार देवांगन 2. कु. श्वेता रानी 3. श्री प्रेमलाल सिन्हा 4. श्री मोंटी राजपूत
2.	धमतरी	श्री गजानंद साहू	-
3.	बलौदा बाजार	श्रीमती संध्या बाजपेयी	श्रीमती वीणा वर्मा
4.	महासमुंद	श्रीमती सुनीता देवांगन	1. श्रीमती छाया चन्द्राकर 2. श्री संदीप दीवान 3. श्री मुरारीलाल निर्मलकर
5.	गरियाबंद	-	1. श्री बैसाखू राम साहू 2. श्रीमती पूर्णिमा तिवारी
6.	दुर्ग	डॉ. श्रेष्ठा शुक्ला	1. श्री रमाकांत देशमुख 2. श्रीमती मिसबा शिरीन हुसैन 3. श्रीमती प्रीति अजय बेहरा 4. श्रीमती श्रद्धा रानी
7.	राजनांदगांव	डॉ. कु. श्रुति खरे	1. श्री चन्द्रभूषण सिंह ठाकुर 2. श्रीमती इंदु साहू 3. श्रीमती सुनीता यादव 4. श्री राकेश सिंह राजपूत
8.	कबीरधाम	श्रीमती अंजना	-

9	बालोद	श्री कृष्णा साहू	श्रीमती शैल टांक
10	बेमेतरा	—	श्री ओमप्रकाश चन्द्राकर
11	बिलासपुर	श्री असीम कुमार मुखर्जी	1. श्रीमती वर्षा मिश्रा 2. श्रीमती रीता राजगीर 3. डॉ. श्रीमती आरती सिंह 4. श्री हेमन्त कुमार चन्द्राकर
12	जांजगीर-चांपा	श्रीमती नम्रता पटेल	1. श्री मुरलीधर चन्द्रम 2. सुश्री संतोषी राठौर
13	रायगढ़	डॉ. पुनीता राजलक्ष्मी	1. डॉ. ऋतु शर्मा सिंह 2. श्रीमती चंदना गुप्ता
14	मुंगेली	—	1. श्री बृजेश कुमार उपाध्याय 2. श्री सलील पाण्डेय
15	सरगुजा	श्री सुरेन्द्र कुमार	1. श्री अनिल कुमार हरदहा 2. श्रीमती पूर्णिमा खरे
16	सूरजपुर	सुश्री किरण बघेल	1. श्रीमती कविता सिंह 2. श्री राजेश शर्मा
17	कोरिया	श्रीमती अंजली तिवारी	—
18	बलरामपुर	—	1. श्री ओमप्रकाश साव 2. श्री अयोध्या प्रसाद
19	जशपुर	श्रीमती निर्मला जांगड़े	1. श्रीमती डौली कुशवाहा 2. श्री सुभाष कुमार आर्यवर्ती
20	बस्तर	श्री शैलेन्द्र दुबे	1. सुश्री मीना सिंह 2. श्रीमती सुनीता ठाकुर
21	कांकेर	श्रीमती कल्पना ध्रुव	1. श्री अनिल कुमार पिपरैया 2. सुश्री सिरात्री निषाद 3. श्रीमती हेमलता वैष्णव
22	कोण्डागांव	—	श्री बिंगुराम कोरम
23	दंतेवाड़ा	श्री छत्र कुमार साहू	श्रीमती सुनीता गोड़बोले
24	बीजापुर	—	श्री अशोक कुमार तलांडी
25	नारायणपुर	—	1. श्रीमती पूनम केशरा 2. श्री सोना राम साहू
26	सुकमा	—	श्रीमती रेणुका सूना

- (1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गयी जानकारी तथा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में, राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति का नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (2) बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी।
- (3) बालक कल्याण समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुसार अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (4) बालक कल्याण समिति, बाल गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी।
- (5) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (27) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।
- (6) कंडिका क्रमांक 5 के अतिरिक्त, समिति के अध्यक्ष/सदस्य, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे।
- (7) समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये कार्य करेंगी।
- (8) यदि नियुक्त सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो बालक कल्याण समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा।
- (9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में विपरीत टीप प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रसन्ना आर., सचिव.

Atal Nagar, the 2nd November 2020

NOTIFICATION

No. F 12-1/2020/WCD/50 (Part 2). — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State level Selection Committee constituted for selection of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee, the State Government, hereby, appoints the following persons mentioned in column number (3) and (4) of the table mentioned below as Chairperson/Members respectively in the Child Welfare Committee of the corresponding District mentioned in column number (2), subject to the conditions mentioned below, namely :-

TABLE

S.No.	Name of the District	Name of the Chairperson of the Child Welfare Committee	Name of the Member of the Child Welfare Committee
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Raipur	Mr. Sarwat Hussain Naqvi	1. Mr. Ramesh Kumar Dewangan 2. Ms. Shweta Rani 3. Mr. Premlal Sinha 4. Mr. Monti Rajput
2	Dhamtari	Mr. Gajanand Sahu	-
3	Balodabazar	Mrs. Sandhya Bajpai	Mrs. Veena Verma
4	Mahasamund	Mrs. Sunita Dewangan	1. Mrs. Chhaya Chandrakar 2. Mr. Sandeep Diwan 3. Mr. Murarilal Nirmalkar
5	Gariyaband	-	1. Mr. Baisakhu Ram Sahu 2. Mrs. Purnima Tiwari
6	Durg	Dr. Shreshtha Shukla	1. Mr. Ramakant Deshmukh 2. Mrs. Misba Shirin Hussain 3. Mrs. Preeti Ajay Behra 4. Mrs. Shraddha Rani
7	Rajnandgaon	Dr. Shruti Khare	1. Mr. Chandrabhushan Singh Thakur 2. Mrs. Indu Sahu 3. Mrs. Sunita Yadav 4. Mr. Rakesh Singh Rajput
8	Kabeerdham	Mrs. Anjana	-
9	Balod	Mr. Krishna Sahu	Mrs. Shail Tank
10	Bemetara	-	Mr. Omprakash Chandrakar
11	Bilaspur	Mr. Aseem Kumar Mukharjee	1. Mrs. Varsha Mishra 2. Mrs. Reeta Rajgeer 3. Dr. Mrs. Aarti Singh 4. Mr. Hemant Kumar Chandrakar

12	Janjgir-Champa	Mrs. Namrata Patel	1. Mr. Murlidhar Chandram 2. Ms. Santoshi Rathore
13	Raigarh	Dr. Punita Rajlakshmi	1. Dr. Ritu Sharma Singh 2. Mrs. Chandana Gupta
14	Mungeli	-	1. Mr. Brijesh Kumar Upadhyay 2. Mr. Salil Pandey
15	Surguja	Mr. Surendra Kumar	1. Mr. Anil Kumar Hardaha 2. Mrs. Purnima Khare
16	Surajpur	Ms. Kiran Baghel	1. Mrs. Kavita Singh 2. Mr. Rajesh Sharma
17	Koriya	Mrs. Anjali Tiwari	-
18	Balrampur	-	1. Mr. Omprakash Sao 2. Mr. Ayodhya Prasad
19	Jashpur	Mrs. Nirmala Jangade	1. Mrs. Dolly Kushwaha 2. Mr. Shubhash Kumar Aaryavarti
20	Bastar	Mr. Shailendra Dubey	1. Ms. Meena Singh 2. Mrs. Sunita Thakur
21	Kanker	Mrs. Kalpana Dhruw	1. Mr. Anil Kumar Pipraiya 2. Ms. Siratri Nishad 3. Mrs. Hemlata Vaishnav
22	Kondagaon	-	Mr. Binguram Korram
23	Dantewada	Mr. Chhatra Kumar Sahu	Mrs. Sunita Godbole
24	Bijapur	-	Mr. Ashok Kumar Talandi
25	Narayanpur	-	1. Mrs. Poonam Keshara 2. Mr. Sona Ram Sahu
26	Sukma	-	Mrs. Renuka Suna

- (1) These appointments have been done on the basis of information given in the application & personal interaction and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level, State government shall have the rights to cancel the appointment of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.
- (2) The term of the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee shall be for a period of three years from the date of the issue of this order.
- (3) Child Welfare Committee shall hold its meetings as per sub-section (1) of Section 28 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No.2 of 2016), in which presence of Chairperson/members on the prescribed date/time shall be mandatory.
- (4) Child Welfare Committee shall hold its meetings in the premises of the Children Home or at any place decided by the District Child Protection Committee.

- (5) Appointment of the Members of the Child Welfare Committee may be terminated in accordance with the provisions of sub- Section (7) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No.2 of 2016).
- (6) Besides serial no. 5 Chairperson/ Members of the Committee may resign at any time by giving one month's notice.
- (7) Committee shall function for the welfare and protection of the children in accordance with the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No.2 of 2016) & the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.
- (8) If the appointed member is in a profession/service, which can affect his work as a member of the Child Welfare Committee, then he will have to postpone his work of existing profession/service.
- (9) This appointment will be considered provisional till the police verification.If any adverse comment is found in police verification of appointed candidate, his appointment will be considered terminated with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRASANNA R., Secretary.

अटल नगर, दिनांक 2 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-1/2020/मबावि/50 (पार्ट 2). — किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद द्वारा नीचे उल्लिखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लिखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित तत्संबंधी जिले के किशोर न्याय बोर्ड में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, नीचे उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात:-

तालिका

स. क्र.	जिले का नाम	किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता
(1)	(2)	(3)
1	बलौदा बाजार	1. श्रीमती अर्चना पाण्डेय 2. श्री देवेन्द्र कुमार साहू
2	महासमुंद	1. डॉ. श्रीमती वाणी तिवारी 2. श्री नेतराम डडसेना
3	गरियाबंद	सुश्री शीला यादव
4	दुर्ग -01	1. श्री मुकेश कुमार सोनी 2. श्रीमती पूजा चन्द्राकर
	दुर्ग -02	श्री राकेश कुमार साहू
5	राजनांदगांव	श्री विपिन कुमार ठाकुर
6	कबीरधाम	श्रीमती लता सोनी
7	बालोद	श्रीमती पुष्पा सिंह ठाकुर
8	बिलासपुर	श्रीमती रीता बरसैया
9	कोरबा	1. श्रीमती सीमा शाह 2. श्री रविशंकर खुंटे
10	जांजगीर-चांपा	1. श्री सुरेश कुमार जायसवाल 2. डॉ. इन्दु साधवानी
11	मुंगेली	1. श्रीमती सुलेखा टंडन 2. श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
12	सरगुजा	श्रीमती पूनम सिन्हा

13	सूरजपुर	1. श्रीमती ललिता जायसवाल 2. श्रीमती आरती दीक्षित
14	कोरिया	श्रीमती जयश्री श्रीवास्तव
15	बलरामपुर	श्री सुनील कुमार गुप्ता (पिता- श्री सत्यनारायण गुप्ता)
16	कांकेर	1. सुश्री लक्ष्मी सहारे 2. श्री आत्मा राम निषाद
17	कोण्डागांव	श्री ऋषभ कुमार जैन
18	दंतेवाड़ा	श्रीमती बबीता पांडे
19	बीजापुर	श्रीमती मिली सत्यन
20	नारायणपुर	श्री विजय कुमेटी

- (1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गयी जानकारी तथा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में, राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति का चयन निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (2) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी।
- (3) बोर्ड, संप्रक्षेपण गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगा, जिसमें विहित तिथि/समय पर सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (4) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (4) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।
- (5) कंडिका क्रमांक 4 के अतिरिक्त, बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे।
- (6) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार कार्य करेंगे।
- (7) यदि नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी वर्तमान व्यवसाय/सेवा का कार्य स्थगित करना होगा।
- (8) किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता यदि अधिवक्ता हैं तो बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टीस नहीं करेंगे तथा इस हेतु उन्हें किशोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद् से अपना पंजीयन/सनद स्थगित कराना होगा तथा उन्हें इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज

विभाग को उपलब्ध कराना होगा। इसके पश्चात ही वे किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थिति दे सकेंगे।

- (9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में विपरीत टीप प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रसन्ना आर., सचिव.

Atal Nagar, the 2nd November 2020

NOTIFICATION

No. F 12-1/2020/WCD/50 (Part 2). — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016) and as per the recommendations of the State level Selection Committee, the State Government, hereby, appoints the following person mentioned in column number (3) of the table mentioned below in the Juvenile Justice Board of the corresponding District mentioned in column number (2) as Social worker, subject to the conditions mentioned below namely:-

TABLE

S.No.	Name of the District	Name of the Social worker of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)
1	Balodabazar	1. Mrs. Archana Pandey 2. Mr. Devendra Kumar Sahu
2	Mahasamund	1. Dr. Mrs. Vani Tiwari 2. Mr. Netram Dadsena
3	Gariyaband	Ms. Sheela Yadav
4	Durg-01	1. Mr. Mukesh Kumar Soni 2. Mrs. Puja Chandrakar
	Durg-02	Mr. Rakesh Kumar Sahu
5	Rajnandgaon	Mr. Vipin Kumar Thakur
6	Kabeerdham	Mrs. Lata Soni
7	Balod	Mrs. Pushpa Singh Thakur
8	Bilaspur	Mrs. Rita Barsaiya
9	Korba	1. Mrs. Sima Shah 2. Mr. Ravishankar Khunte
10	Janjgir-Champa	3. Mr. Suresh Kumar Jaisawal 4. Dr. Indu Sadhwani
11	Mungeli	1. Mrs. Sulekha Tandon 2. Mr. Devendra Kumar Pandey
12	Surguja	Mrs. Poonam Sinha
13	Surajpur	1. Mrs. Lalita Jaisawal 2. Mrs. Aarti Dixit
14	Koriya	Mrs. Jaishree Shriwastav
15	Balrampur	Mr. Sunil Kumar Gupta (S/O Mr. Satyanarayan Gupta)
16	Kanker	1. Ms. Lakshmi Sahare 2. Mr. Atma Ram Nishad

17	Kondagaon	Mr. Risabh Kumar Jain
18	Dantewada	Mrs. Babita Pandey
19	Bijapur	Mrs. Mili Satyan
20	Narayanpur	Mr. Vijay Kumeti

- (1) These appointments have been done on the basis of information given in the application & personal interaction and documents submitted by the applicants. In case of wrong information or discrepancy or complaint at any level, State government shall have the rights to cancel the appointment of the concerned person and no representation shall be acceptable in this regards.
- (2) The term of the Social Workers of the Juvenile Justice Board shall be for a period of three years from the date of the issue of this order.
- (3) The Board shall hold its meetings in the premises of the Observation Home or at any place decided by the District Child Protection Committee, in which presence of the Social Workers on the prescribed date/time shall be mandatory.
- (4) Appointment of the Social Workers of the Juvenile Justice Board may be terminated in accordance with the provisions of sub- Section (7) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No.2 of 2016).
- (5) Besides serial no. 4, Social Workers of the Board may resign at any time by giving one month's notice.
- (6) Appointed Social Workers shall function according to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No.2 of 2016) and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.
- (7) If the appointed Social Worker is in a profession/service which can affect his work as a member of the Juvenile Justice Board then he shall have to postpone his work of existing profession/service.
- (8) If the Social Worker appointed in the Juvenile Justice Board is an advocate, then he shall not be able to practice during his/her tenure in the Board and for this they shall have to get their registration/license suspended from the Chhattisgarh State Bar Council for the period of their tenure in Juvenile Justice Board and they have to provide the relevant documents in this regard to the department. Only after that he can join the Juvenile Justice Board.
- (9) This appointment will be considered provisional till the police verification. If any adverse comment is found in police verification of appointed candidate, his appointment will be considered terminated with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRASANNA R., Secretary.